बिंदु संख्या-(3)
(I)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
National Highway Div., PWD,

निकट वरूणा पुल, नदेसर, वाराणसी
Near Varuna Bridge, Nadesar,
वाराणसी Varanasi -221002
E-mail: nhvaranasi@rediffmail.com

पत्रांक—

दिनांक—

प्रमाण—पत्र

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ भारत सरकार के पत्रांक—8बी/यू.पी./06/47/2022/एफ.सी./211 दि. 07.07.2022 के बिन्दु—03, रेलवे विभाग से संबंधित आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के अन्तर्गत नीति आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। रेलवे विभाग से सम्पर्क किये जाने पर अवगत् कराया गया कि रेलवे विभाग द्वारा लेवल क्रासिंग पर अपने Restricted Zone में कोई कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है एवं मार्ग का चौड़ीकरण आर.ओ.डब्ल्यू. की सीमा तथा रेलवे की बाउण्ड्री लिमिट तक ही सीमित होने की दशा में No Objection Certificate की कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

(मृत्युन्जय सिंह यादव)
अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
N.H. Div P.W.D
Varanasi

E:\Kul file\Rakesh\All file\A\HindiLetter-13Doc Rakesh

बिंदु संख्या-(3) (II)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर

पत्रांक— 1531 /सिंख0जौ0/एन0ओ0सी0/ दिनांक 23.07.2022

विषय— मिर्जापुर—भदोही—जौनपुर—अम्बेडकरनगर—अयोध्या मार्ग रा.मा.सं.—135ए के चैनेज 34.90 से 73.134 के चार लेन चौड़ीकरण हेतु अनापत्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः—आपका पत्रांक—886/29सी, दिनांक 22.07.22।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, नदेसर वाराणसी

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मार्ग संख्या—135ए (भदोही से जौनपुर के मध्य) को नहर की भूमि में चौड़ीकरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र की मॉग की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि राजमार्ग के संरेखण चैनेज 58.200, पर नहर के स्ट्रक्चर में कोई परिर्वतन नहीं किया जाना है तथा उक्त मार्ग (रा.मा.स.—135ए) के R.O.W. के सीमा में ही चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 21.07.2022 को जिसमें आपके खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री जर्नादन राम पाल, जूनियर इन्जीनियर, शरद चन्द्र यादव एवं इस खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार गौतम एवं जूनियर इन्जीनियर श्री संजीव कुमार के द्वारा साइट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित हुआ कि मार्ग के चौड़ीकरण में नहर के स्ट्रक्चर में कोई परिर्वतन नहीं किया जाना है तथा उक्त मार्ग (रा.मा.स.—135ए) के R.O.W. के अन्तर्गत ही मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर

पत्रांक— /सिंख0जौ0/एन0ओ0सी0/तदिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदशम मण्डल, सिंचाई कार्य, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, जौनपुर

Executive Engineer
N.H. Div P.W.D
Varanasi

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर